

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**प्रेस विज्ञापित**  
**महत्वपूर्ण सूचना**


नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगर निवेशन एवं क्षेत्रीय संगठन अन्तर्गत मुख्य नगर निवेशक, नगर निवेशक एवं साहचर्य निवेशक के स्वीकृत/रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-10000 दिनांक-10.07.15 के आलोक में विभागीय कार्यों को सुदृढ़ करने हेतु निम्न पदों पद संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र०	पदनाम	कुल स्वीकृत एवं रिक्त पद
1.	मुख्य नगर निवेशक	01
2.	नगर निवेशक	02
3.	साहचर्य निवेशक	04

प्राप्त आवेदनों पर नियोजन हेतु तैयार किया जाएगा, जिसमें कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध संविदा पर नियोजन किया जाएगा।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में इच्छुक सेवानिवृत्त मुख्य नगर निवेशक/नगर निवेशक/साहचर्य निवेशक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन दिनांक-20.05.2016 के 05.00 बजे अप० तक विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन दे सकते हैं :-

1. आवेदक केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से उक्त पदों से सेवानिवृत्त हुए हों।
2. 31 मार्च, 2016 को आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष एवं अधिकतम आयु 64 वर्ष होना चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा 65 वर्ष तक मान्य होगी।
3. संविदा अवधि प्रथम चरण के लिए 12 माह की होगी, जिसे 12 माह के अन्तराल पर आवश्यकता एवं सेवा संतोषजनक होने के आधार पर पुनः अनुबंधित किया जाएगा।
4. किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
6. नियोजन हेतु चयन आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप किया जायेगा।
7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आवेदक के विरुद्ध कोई निगरानी/अपराधिक मामला किसी न्यायालय में दर्ज नहीं है और कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है।
8. साक्षात्कार के समय आवेदक आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र/पी०पी०ओ०/सेवा इतिहास/सेवापुस्तिका की छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. चयन समिति को बिना कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।
10. विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट [www.urban.bih.nic.in](http://www.urban.bih.nic.in) देखा जा सकता है।

  
निदेशक नगरपालिका प्रशासन  
-सह-संयुक्त सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।